

सं-ए-19011/5(10)/2014-स्था.दो/4071-5073

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

कमरा न. 305(द.), सेवा भवन
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली ।
दिनांक : 22/12/2017

कार्यालय आदेश

श्रीमति के. रेखा रानी , उपनिदेशक जल विज्ञान(मध्य) निदेशालय, के.ज.आ., नई दिल्ली को निम्नानुसार छुट्टी स्वीकृत की जाती है :

क्र. सं.	छुट्टी का प्रकार	छुट्टी की अवधि		कुल दिन	शेष छुट्टी (31-12-2017 तक)
		से	तक		
1.	अर्जित अवकाश(EL)	02-06-2016	10-06-2016	9	-----
2.	असाधारण अवकाश (EOL)चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर (to be counted for Qualifying Service)	11-06-2016	07-12-2016	180	
3.	अर्जित अवकाश(EL)	19-12-2016	17-01-2017	30	48 EL
4	मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)	18-01-2017	16-07-2017	180	

प्रमाणित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त अवकाश पर नहीं जाती तो उपनिदेशक/अधिशाली अभियंता के पद पर बने रहते । छुट्टी के उपभोग के बाद उन्होंने उसी स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था ।

यह इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 19-12-2016 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

लतिका
22/12/2017
(पी.ए.लतिका)
अनुभाग अधिकारी

प्रति:-

- वेतन एवं लेखा कार्यालय, के0ज0आ0, नई दिल्ली ।
- अनुभाग अधिकारी लेखा तीन अनुभाग के.ज.आ., नई दिल्ली ।
- श्रीमति के. रेखा रानी , उपनिदेशक, जल विज्ञान(मध्य) निदेशालय, के.ज.आ., नई दिल्ली ।